

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 49 / 2021-22

जोसमीन मालतो बनाम् रैयान मौजा-धधरीपहाड़

-: आदेश :-

17.02.2023


वर्तमान प्रक्रिया आवेदिका जोसमीन मालतो, पति-एलेकजेण्डर मालतो, सा0-कुसुमघाटी, थाना-बोआरीजोर व अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा ने संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-धधरीपहाड़ नं0-35P के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।


आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक-546/रा0 दिनांक-20.07.2022 एवं पत्रांक-102/रा0 दिनांक-13.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-धधरीपहाड़ नं0-35P बेचिरागी प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान धरमा पहाड़िया सरदार, पिता-स्व0 दुला पहाड़िया थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है, जिसके लिए आवेदिका जोसमीन मालतो, पति-एलेकजेण्डर मालतो के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वंशावली के आधार पर आवेदिका जोसमीन मालतो स्व0 धरमा पहाड़िया सरदार की पोतपतोहु है। आवेदिका जोसमीन मालतो को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। पूर्व प्रधान के अन्य वंशज अलकजेण्डर मालतो, चार्लिस मालतो, सेत मालतो सभी पिता-स्व0 एडवार्ड मालतो ने शपथ पत्र सं0-3972 दिनांक-13.02.2023 के द्वारा जोसमीन मालतो को ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु अनापत्ति दाखिल की गई है।

अतः आवेदिका के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा तथा पूर्व प्रधान के अन्य वंशज द्वारा अनापत्ति दाखिल करने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-धधरीपहाड़ नं0-35P का प्रधान जोसमीन मालतो को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Pande Mur Singh
Ad
05/04/23